न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 284/2019 जी.सी.एम.नम्बर 2019/00211

1. मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह देव मंदिर जरिए व्यवस्थापक पुजारी सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी दौसा मुखत्यारआम श्रीमती मंजू देवी पत्नि सत्यनारायण शर्मा निवासी कस्बा दौसा तह० व जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. आयुक्त नगर परिषद दौसा जिला दौसा।
2. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा 14.12.2012/22.11.2012 कार्यालय नगर परिषद दोसा क.प्र.श.स./लोक/2012/39

उपस्थित–

1. श्री हेमराज गुर्जर वकील अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद जांगिड वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् दौसा के निर्णय दिनांक 14.12.2012/22.11.2012 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2012/22.11.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् दौसा दिनांक 14.12.2012/22.11.2012 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1077 1079, 1080, 1073 स्थित तन मौजा दौसा तहसील व जिला दौसा का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उप धारा (8) के अधीन पर्यवर्तित (रांपरिवर्तन) कर दी गयी है। आराजी हाल खसरा नम्बर 466 में 466/1521 एवं वक्त बन्दोबस्ती सम्वत् 2003 से 2022 ख.न. 971, 976, 974, 975, 977, 972, 973 सम्वत् 1984 बंदोबस्त में अंकित ख.न. 866, 867, 868, 852/2, 869, 871, 872 के समय से उक्त

संभागीय आयुक्त

प्रश्नगत आराजी माफी मन्दिर मूर्ति श्री नृसिंहदेव महाराज की खातेदारी में अंकित रही मंदिर पुजारी रामचन्द्र पुत्र चम्पाराम पूजारी दर्ज रेवन्यू रिकार्ड रहे है। चम्पाराम पुत्र बल्भ कौम ब्राह्मण सा०देह पूजारी सम्वत् 1934 के समय रहे है। अपीलाण्ट के हिन्दूवारिसान है। अधीनस्थ एस.डी.ओ कोर्ट दौसा में उक्त आराजी की बाबत दावेजात दिनांक 24.06.1992 से बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं वेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का 4 लम्बित है। जिसमें अपीलाण्ट वादी संख्या 2 दर्ज है वाद पत्र के साथ रिसीवर का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था। वह प्रार्थना पत्र पत्रावली रो 135/1996 में दिनांक 31.07.1996 निर्णय का दिनांक 09.06.1997 है तब से आराजी ख.न. 1073, 1077, 1078,1079,1080 व 1058 रकबा 1.79 रकबा व 0.34 है को कुर्क किया जाता है तहसीलदार दौसा उक्त भूमि का रिसीवर नियुक्त किया गया है। आराजी आज दिन तक रिसीवर चली आ रही है। ताहम भी आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 का नाजायज संपरिवर्तन कर रेस्पोण्डन्ट द्वारा भारी गलती की है। आदेश दिनांक 06.09.2019 सर्वप्रथम जानकारी में आयी । इस पर दिनांक 11.09.2019 को नकल प्राप्त हुई। इस पर कथित पक्षकार अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ नगर परिषद द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार महोदय दौसा से रिपोर्ट लिये बिना एवं माफी मन्दिर श्री नृसिंह देव भगवान की भूमि की जानकारी होते हुए भी बैजा तौर पर जेर आज्ञा प्रसारित की गयी है साथ ही आज्ञा जारी करने के पूर्व कोई नोटिस सूचना सुनवाई अपीलाण्ट की नहीं की गई। मन्दिर की भूमि का संपरिवर्तन कर देने की वजह से मन्दिर की सेवापूजा होने तथा अहम सवाल खडा हो गया है मन्दिर की भूमि का संपरिवर्तन हो ही नहीं सकता । साथ ही रिसीवर शुदा भूमि का संपरिवर्तन बिना तहसीलदार सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा बिना होना संभव नहीं है। आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 का संपपरिवर्तन होने की वजह से अतिचार आकर अतिचार करने लगे है व पट्टे चाहते है। किसी भी क्षण नगरपरिषद द्वारा पट्टे जारी होकर पुख्ता निर्माण हो जाने की पूरी पूरी संभावना उत्पन्न हो रही है। ऐसी सूरत में नगर परिषद को प्रतिबन्धित कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर अर्ज है कि अधीनस्थ नगर परिषद द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 14.12.2012/22.11.2012 खारिज फरमायी जावें।

5. रेस्पो0 संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 तन मौजा दौसा तहसील व जिला दौसा जो कि मूर्ति मंदिर माफी श्री नृसिंगदेव महाराज की खातेदारी में अंकित रही है। उक्त आराजी विवादित आराजी है। जिसके संबंध में अन्य न्यायालयों में भी वाद विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर राज0 के द्वारा दिनांक 09.06.1997 के द्वारा उक्त सम्पति को कुर्क किया जाकर रिसिवर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिसमें किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांट उक्त संम्पति का ना तो मालिक है ना ही उक्त सम्पति के संबंध मे कोई लेना–देना हैं। क्योंकि ना तो नाबालिग माफी मूर्ति मंदिर श्री नृसिंग देव के लिए जरिये व्यवस्थापक पुजारी अंकित किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजात् ना तो रिकॉर्ड पर और ना ही रिसीवर द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिकार पत्र जारी नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता

माननीय आयुक्त
जयपुर

है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 के संपरिवर्तन आदेश को लेकर है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नगर परिषद् दौसा द्वारा दिनांक 22.11.2012 को लोक सूचना जारी कर दिनांक 14.12.2012 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के अंतर्गत उक्त भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर राज0 के द्वारा भी दिनांक 09.06.1997 के द्वारा उक्त सम्पति को कुर्क किया जाकर रिसिवर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त विवादित आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 तन मौजा दौसा तहसील व जिला दौसा जो कि मूर्ति मंदिर माफी श्री नृसिंगदेव महाराज की खातेदारी में अंकित रही है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। इसके अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार एवं प्रत्येक लोकसेवक का कर्तव्य है। मंदिर शाश्वत की भूमि के खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरकरण नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति मेंअधीनस्थ न्यायालय नगर परिषद् दौसाद्वारा मंदिर शाश्वत की भूमि आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 का संपरिवर्तन किया जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् दौसा 14.12.2012 अपीलांट की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद् दौसा का निर्णय दिनांक 14.12.2012/22.11.2012 मंदिर शाश्वत की भूमि आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि मंदिर शाश्वत की भूमि आराजी ख.न. 1073, 1077, 1079, 1080 को राजहित में मूर्ति मंदिर श्री नरसिंह देव के नाम दर्ज की जावे।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर